




न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादी	ब	प्रतिवादी
कैलाशचंद्र पुत्र कल्याण कल्याण हरीप्रयाग	ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी
राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकॉर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत		
वाद-पत्र नम्बर 253 / 2021		GCMS No. 2021/1008
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	
1.12.2021	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए	
<p>वादी श्री <u>कैलाशचंद्र</u> पुत्र <u>कल्याण</u> जाति <u>कल्याण</u> निवासी <u>हरीप्रयाग</u> द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत <u>नायब</u> में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत <u>2076 2021</u> ग्राम <u>हरीप्रयाग</u> पटवार मण्डल <u>नायब</u> के खाता नम्बर <u>102, 12.13</u> में वादी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि <u>कैलाशचंद्र पुत्र कल्याण</u> दर्ज है, जो अशुद्ध है।</p> <p>वादी का शुद्ध नाम <u>कैलाशचंद्र पुत्र कल्याण</u> है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. <u>आधार नम्बर 2742 7443 8884</u> मतदाता पहचान पत्र <u>69/04218664</u> अन्य दस्तावेज <u>कल्याण</u> की छाया प्रति प्रस्तुत की है।</p> <p>इस संबंध में हल्का पटवारी <u>कल्याण</u> भू.अ.नि <u>कल्याण</u> एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।</p> <p>अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।</p>		
		
 <p>उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)</p>		1068-1071